



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—४, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, ०३ अक्टूबर, २०१६ ई०

आसिवन ११, १९३८ शक समवत्

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग—६ (उच्च शिक्षा)

संख्या १०००/ XXIV(6)/ २०१६—१२(९२)२०१५—टी०सी०—II

देहरादून, ०३ अक्टूबर, २०१६

अधिसूचना

पृष्ठ आ०—१३८

राज्यपाल उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की धारा (१) की उपधारा—२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक ०६ सितम्बर, २०१६ को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

आज्ञा से,

एस० रामार्थामी,
अपर मुख्य सचिव।



सरकारी गणद, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, ०६ सितम्बर, २०१६ ई०

पाइपल १५, १९३८ शक समवत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या २३०/XXXXVI(3)/२०१६/२३(१)/२०१६

देहरादून, ०८ सितम्बर, २०१६

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, २०१६” पर दिनांक ०२ सितम्बर, २०१६ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या २०, वर्ष २०१६ के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

photo copy attested
S. D. S.
25/3/17

कुलधर्मी
आवासीय विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६
(अधिनियम संख्या २०, वर्ष २०१६)

अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों के लिए

भारतीय गणतन्त्र के ६७ वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।

अधिनियम
अध्याय - एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ है।
(2) यह उस लारीख को प्रबृत्त होगा जो राज्य सूचकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियमित नियत करें।

परिमाणार्थ

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
(क) "शैक्षिक परिषद" से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद अभिप्रेत है;
(ख) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
(ग) "संघटक महाविद्यालय" अथवा "परिसर" से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्ति व संचालित अतिरिक्त परिसर/ संस्थान अभिप्रेत है;
(घ) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;
(ङ) "संकायाध्यक्ष" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
(ज) "निदेशक" से किसी विषय के अध्यायन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

*Phitay all set
05/03/2018*

- (छ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत हैं और इसमें विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारीवृन्द समिलित हैं;
- (ज) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
- (झ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
- (ञ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ट) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;
- (ठ) "संस्था" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्था अभिप्रेत है;
- (छ) "प्रबन्धन मण्डल" से किसी संस्थान/परिसर के मामलों के प्रबन्धन के लिए और उस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकाय अभिप्रेत हैं;
- (छ) "विहित" से परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;
- (ग) "प्राचार्य" से किसी संघटक महाविद्यालय के संबन्ध में संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और इसमें जड़ां प्राचार्य नहीं हैं उप प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हैं;
- (ह) "कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;
- (झ) "स्कूल" से विश्वविद्यालय के स्कूल अभिप्रेत हैं;
- (ट) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (ঞ) "परिनियमों" "अध्यादेशों" और "विनियमों" से कमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ঠ) "शिक्षक" से आचार्य, सह आचार्य, रीडर, सहायक आचार्य, प्रवक्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय में अनुदेश, शिक्षण या अनुसंधान के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और जिसमें संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य समिलित है;
- (ঘ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1950 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

*Phot copy atted by
05/13/12*

- (७) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (८) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है;

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. (१) राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय" ज्ञात नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा में होगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर, जो आवश्यक समझे, अपने अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।

- (२) विश्वविद्यालय ऊपर उपद्यारा (१) में विनिर्दिष्ट नाम वाला एक निर्गमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा अपने नाम से वाद लायेगा। और उस पर वाद लाया जायेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अवबोध का प्रसार और उन्नत बनाना होगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कर्तव्य

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नवत् होंगे; अर्थात्-

(१) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, आधुनिक विषयों पर विशेष लक्ष्य रखते हुए जिससे वे प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र बन सके, सनुदेश के लिए उपबन्ध करना और ज्ञान के उन्नयन और प्रसार के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(२) उपाधियाँ, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;

(३) परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार संकाय, स्कूल तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक निकाय स्थापित करना;

(४) परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विश्वविद्यालय या इसके संस्थान/परिसर में अध्ययन, परीक्षा और/या अनुसंधान का विधिक पाठ्यक्रम सफलतां पूर्वक पूर्ण कर लिया हो, उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशेषिताएँ अन्ततः प्रदान करना;

photo copy attached
27/7/18
कुलपति
आवासीय विश्वविद्यालय

- (5) परिनियमों में अधिकाधित रीति से और शर्तों के संदर्भ मानद उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;
 - (6) अन्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और प्रधाकारियों से ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य एवं सहयोग करना;
 - (7) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षकों के पद सूचित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
 - (8) आचार संहिता और अन्य आवश्यक उपाय अधिकाधित करके विश्वविद्यालय और उसकी संस्थाओं के छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित और उसे प्रभावी करना;
 - (9) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, अध्ययन वृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ (यात्रा शोध छात्रवृत्ति संहिता) तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;
 - (10) विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों/परिसरों के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को मान्यता देना;
 - (11) ऐसी फीस और अन्य प्रभार की मांग और प्राप्त करना जैसा परिनियम द्वारा नियत किया जाय;
 - (12) विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों/परिसरों के आवासों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण तथा छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वारक्षण्य के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;
 - (13) प्रशासनिक, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति करना;
 - (14) अनुसंधान और डिजाईन परियोजनाओं पर आधारित प्रशासन के द्वारा संसाधनों का उर्जन करना और अपनी आस्तियों तथा संसाधनों को बढ़ाने व उत्पादक उपयोग के लिए उपबन्ध करना, और;
 - (15) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसारित करने के लिए यथा अपेक्षित ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे वे पूर्वाकृत शादितयों के आनुषंगिक हो या न हों।
6. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय की अधिकारिता उसके अन्तर्गत राष्ट्रपिता समस्त संस्थानों/परिसरों पर होगी।

विश्वविद्यालय की
अधिकारिता

*Photo copy attested
05/03/2017*

- विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, 7. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी दर्ता, जाति, पंथ या लिंग के हों। परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में अध्यादेश द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनतायों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपहर्च करने पर प्रतिबन्ध है।

आनंद तथा प्रत्यायन

8. (1) विश्वविद्यालय द्वारा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले संशोधित मानकों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
 (2) विश्वविद्यालय संबंधित राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था/संस्थाओं से जैसा अपेक्षित हो, मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के 'अधिकारी'

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे-
 (क) कुलाधिपति;
 (ख) कुलपति;
 (ग) प्रति कुलपति;
 (घ) संकायाध्यक्ष;
 (ङ) कुलसचिव;
 (च) वित्त अधिकारी; और
 (छ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के लिए घोषित किया जा सकेगा।

कुलाधिपति

10. (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।
 (2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, तो उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षाता समारोह की अद्यक्षता करेगा।
 (3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी कार्य से संबंधित ऐसी सूचना, मांग सकेगा तथा उस पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो वह विश्वविद्यालय

Photo copy attested
07/03/17

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, ०८ सितम्बर, २०१६ ई० (भाद्रपद १५, १९३८ शका सन्वत्)
के हित में ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा अधिकारी
ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

- (4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमति के अध्येतीन होगा।
- (5) कुलाधिपति समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रगति और कार्य के पुनर्विलोकन के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और उस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कुलाधिपति उस पर कार्य परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह रिपोर्ट में व्यहृत किसी मामले के संबंध में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों के अनुपालन के लिए बाध्य होगा।
- (6) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दें, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुशिष्ट किसी संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और किये जा रहे अन्य कार्यों का भी निरीक्षण कराने का तथा विश्वविद्यालय से सन्वद्ध किसी मामले की बावत की जाने वाली जांच कराने का भी अधिकार होगा।
- (7) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय अपना प्रसिद्धि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण एवं जांच में उपस्थित रहने व सुने जाने का अधिकार होगा।
- (8) कुलाधिपति, कुलपति को ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम संबंधित करेगा और कुलपति कार्य परिषद् को कुलाधिपति द्वारा दिये गये ऐसे परामर्श एवं उस पर की गयी कार्रवाई सहित उनके आशय से अवगत करायेगा।
- (9) कार्य परिषद् कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही यदि कोई है जो वह ऐसे निरीक्षण की जांच के परिणाम स्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या जो की गयी है, संसूचित करेगी।
- (10) जब कार्य परिषद् समुचित समय के अन्दर कुलाधिपति के समाधान रूप में कार्रवाई नहीं करती है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश, जैसा वह ठीक समझे, दे सकेगा और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

*Plot Ch. attester
Dated 5/8/18*

(11) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को अकृत कर सकेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसंध नहीं है।

कुलपति

11. (1) कुलाधिपति उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निर्दिष्ट और शर्तों पर जैसे की परिनियमों द्वारा विहित किया जाय कुलपति की नियुक्ति करेगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,

अर्थात् –

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।

(3) समिति गुणावगुण के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक अर्द्धताओं तथा अन्य विशिष्टियों के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेजेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनियोगों को प्रभावी करेगा।

(5) जहाँ शिक्षक वी नियुक्ति से भिन्न कोई मामला ऐसी आवश्यक प्रकृति का हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकृति किये जायें।

*Shri Shyamal Chatterjee
Om P. D.
कुलपति*

- (7) इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करने का कर्तव्य कुलपति का होगा।
- (8) कुलाधिपति कुलपति को हटाने के लिए या जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए निलम्बित करने के लिए, जो भी वह ठीक समझे, सशक्त है।

प्रतिकुलपति

12. प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी रीति से की जा सकेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकायाध्यक्ष

13. प्रत्येक संकाय और स्कूल का प्रधान संकायाध्यक्ष होगा। संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव

14. (1) कुलसचिव की नियुक्ति उत्तरांचल राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयीयता) सेवा नियमावली, २००६ के अधीन ऐसी रीति एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जो कि विहित किये जायें,

(2) कुलसचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा और कुलपति के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कार्य करेगा।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएँ करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा,

(4) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिग्रामाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें या परिनियमों या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों,

(5) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरवादी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी ज्ञाता सूचनायें और दस्तावेज जो उनके कारबाह के संव्यवहार के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए आवद होगा,

(6) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिनियमों या अध्यादेशों में विवित किया जाय या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।

*Photo copy attested
Om Prakash*

वित्त अधिकारी

15. (१) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसके पारिश्रमिक और भर्ती का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (२) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के बजट (वार्षिक आंकड़ा) और विवरण कार्य परिषद् के समुख रखने, विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।
- (३) वह सीधे कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।
- (४) उसे कार्य परिषद् की कार्यवाहियों में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत ढालने का हकदार नहीं होगा।
- (५) उसका विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण एवं वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देने का कर्तव्य होगा,
- (क) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो न किया जाये।
- (ख) ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किसी परिनियम या अध्यादेश की शर्तों के उल्लंघन में हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और सम्परीक्षा के दौरान पाई गयी अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्रवाई करेगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधान संरक्षित और सुप्रत्यक्षित हो;
- (ङ.) लेखाभारों की नियमित रूप से सम्परीक्षा करायेगा;
- (०) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निर्बन्धन और शर्तें तथा शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किए जायें।

*Photo copy attested
Date 31/12/2017*

कुलपति
उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी १७. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात्-

- (क) सभा;
- (ख) कार्य परिषद्;
- (ग) शैक्षिक परिषद्;
- (घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किये जाय।

सभा

१८. (१) सभा विश्वविद्यालय की एक प्रशासनीय निकाय होगी और उसे विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने की, वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने और संकल्प पारित करने की तथा कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट भागों पर सलाह देने की शक्ति होगी।

(२) सभा निन्न राजरायों से मिलकर बनेगी; अर्थात्-

पदन सदस्य -

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रतिकुलपति;
- (घ) कार्य परिषद के ऐसे शेष सदस्य जो अन्यथा सभा के सदस्य नहीं हैं;
- (ङ) संकायाध्यक्ष;
- (च) कुलसभिक;
- (ज) वित्त अधिकारी;
- (ज) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (झ) विश्वविद्यालय की संस्थान/परिसर के प्रधान;
- (ञ) राज्य विधान सभा के दो प्रतिनिधि जिन्हें आधिकार द्वारा नामित किया जाना है;
- (ट) लघु प्रतिष्ठत तृतीयों, उद्योग, वाणिज्य और कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस से आधिक व्यक्ति जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाना है परन्तु यह कि नामांकन

*Photo attested
05/09/2018*

करते समय विभिन्न हितों, वृत्तियों और योग्यता को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

- (३) शिक्षकों के प्रतिनिधि— पांच शिक्षक जिनका विहित रूप से चयन किया जाना है:

परन्तु यह है कि शिक्षकों के प्रथम प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे।

- (४) प्रबन्धन मंडल के दो प्रतिनिधि, जो विहित रीति से नामित किये जायेंगे:

परन्तु यह है कि इस खण्ड के अन्तर्गत प्रथम प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे।

- (५) छात्रों के प्रतिनिधि—

प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि जो संकाय के पूर्ववर्ती उपाधि की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करे और विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में का हो।

- (६) पदावधि और बैठकों की संचालन के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय,

कार्य परिषद्

19. (१) कार्य परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) कुलपति— अध्यक्ष;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;

(ङ) विहित रीति से घटानुक्रम में दो संकायाध्यक्ष;

(च) विश्वविद्यालय के संकायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आचार्य जो विहित रूप ये चयनित किया जाय;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित सभा के तीन सदस्य जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का कर्यकारी नहीं होगा;

(ज) कुलाधिपति के तीन नामित व्यक्ति जो उच्चारण, प्रबन्धन, उच्च शिक्षा, विज्ञान और ग्रीष्मीयिकी जैसे क्षेत्रों के प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे;

(२) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी और इस समितियम के उपर्योगी के अधीन रहके हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी,

*Dr. B. G. Bhattacharya
attested
on 27/10/2016*

अर्थात्-

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को अधिकारित करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित करना और उन पर नियंत्रण रखना;
- (ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्दिलोकन करना कि वे उपबन्धों के अनुरूप हैं या नहीं;
- (घ) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;
- (ङ) नवीन या अतिरिक्त परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, की संस्तुति करना या विश्वविद्यालय के पूर्व परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों का संशोधन या निरसन करना;
- (च) राज्य सरकार को भेजने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना;
- (छ) ऐसे विनिश्चय करना और कदम उठाना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाच्चनीय पाये जाते हैं; और
परन्तु यह है कि कार्य परिषद् के प्रथम सदस्यों को कुलाधिपति द्वारा नामित किया जायेगा और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- (३) कार्य परिषद् की एक वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कुलपति ठीक समझें;

शैक्षिक परिषद्

20. शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी, जिसका गठन, पदावधि तथा संगत उपबन्ध ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- अन्य पदाधिकारी
21. धारा १७ के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की संरचना, कृत्य और कार्यवाही ऐसी होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाय।

अध्याय-पाँच

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम

22. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए परिनियमों में व्यवस्था की जा सकेगी; अर्थात्-
- (क) विश्वविद्यालय के ग्राहिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शाक्तियां और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकारियों की सदस्यता के लिए अहताएँ और निर्रक्षाएँ, उनके सदस्यों की नियुक्ति और एद से हटाया जाना तथा उससे संबद्ध अन्य मामले;

Plot No. 11, Sector 1, Noida, UP - 201301

कुलाधिपति
विश्वविद्यालय

- (ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निवन्धन और शतां तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य;
- (घ) विश्वविद्यालय का प्रशासन परिसरों/संस्थानों की स्थापना और उनका उत्त्सादन, अध्येतावृत्तियाँ, पुरस्कार इत्यादि को संरक्षित करना, उपायियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना, तथा प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा प्रदान करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया;
- (च) कोई अन्य विषय जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबन्धन तथा कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

परिनियम कैसे
बनाये जाएंगे

23. (1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए जायेगे।
- (2) कार्य परिषद् समय-समय पर इस धारा में विहित रीति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों में संशोधन या उनका निरसन कर सकेगी।

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रारिक्षणि, शक्तियां गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तक तक नहीं बनायेगी या उसमें कार्य परिषद् द्वारा उस पर कोई संशोधन नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्ति राय लिखित रूप में होगी और कार्य परिषद् द्वारा उस पर विचार किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि कार्य परिषद् छात्रों के अनुशासन और अनुदेश शिक्षा के मानकों तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम शैक्षिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ही बनायेगी अन्यथा नहीं।

- (3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में प्रतिवर्धन या परिनियम में किया संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिकारि का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा।

Post copy attached
02/03/17
कुलाधिकारि विश्वविद्यालय
आवारीय विश्वविद्यालय

- (4) किसी नये परिनियम या किसी विद्यालय परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाले परिनियम की तब तक कोई वैधता नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपति उस पर अनुमति न दे दे।
- (5) पूर्वामी उपधाराओं में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हित में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह/संस्थुतियों के आधार पर कुलाधिपति के अनुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या पहले से प्रवृत्त परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

अध्यादेश

24. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन निम्न सभी या किसी मामले में उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात् –
 - (क) छात्रों के प्रवेश, अध्ययन पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिल्सोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियों से संबंधित अहतायें, अध्येतावृत्तियों, पुरस्कार इत्यादि दिये जाने के लिए शर्तें;
 - (ख) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति सहित, और छात्रों के निवास की शर्तें तथा उनका सामान्य अनुशासन;
 - (ग) अन्य कोई मामले जो कि इस अधिनियम या परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हैं, या अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जा सकेंगे।
- (2) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी सभी परिनियमों में विहित रीति से संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

पिनियम

25. विश्वविद्यालय अपने और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से संगत अंशों जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में जो उपबन्धित नहीं किया गया है परिनियमों में विहित रीति से विनियम बना सकेगा।

अध्याय - ४:

प्रक्रीण

वार्षिक रिपोर्ट

26. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निर्देशन के अधीन तैयार की जायेगी और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाय, सभा को प्रस्तुत की जायेगी और सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में उस पर विचार किया जायेगा।

*Photo copy attached
07-03-2018*

(8/16)

16

चत्तराखण्ड असाधारण गजट, ०६ सितम्बर, २०१८ ह० (माद्रपद १५, १८३४ शक समवत्)

(२) सभा उत्त पर अपनी टीका टिप्पी कार्य परिषद् को संसूचित कर सकेगी जो उत्त पर अग्रेतर कार्यवाही जो वह ठीक समझे कर सकेगी।

लेखाओं की सम्परीक्षा

27. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत कर, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी सम्परीक्षा की जायेगी।
- (2) वार्षिक लेखाओं, तुलन-पत्र और सम्परीक्षा रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा और सभा के संकल्प द्वारा उसके प्रतिनिर्देश से संस्तुतियों की जो सकेगी और उन्हें कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।
- (3) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उत्त पर सम्परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष ३० सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये कोई संप्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लायें जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (5) कुलपति या कार्य परिषद् के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा जो या तो बजट में स्वीकृत न हो या विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों के मामले में बजट की मंजूरी के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आशोण या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी शर्तों पर स्वीकृत अनुदान पश्चात्वर्ती स्वीकृत हो।

परन्तु यह कि कुलपति अग्नि, ब्राह्म, अत्यधिक वर्षा या अन्य अचानक या अदृश्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अनावर्ती व्यय जो कि दस हजार रुपए तक का हो, बजट में स्वीकृत न होने पर भी उपगत कर सकेगा।

रिक्तियों के कारण
विश्वविद्यालय अधिकारियों
और निकायों की कार्यवाहियों
का अविधिमान्य न होना

28. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि—
 - (अ) उसमें कोई रिक्त या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था या
 - (ब) उसके संस्थान के छाप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामांकन, या

*Plot No. 47 Aftab
Date 13/11/13*

(ग) नियुक्ति मे कोई त्रुटि थी, या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

29. कार्य परिषद् उपस्थित और महं बने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है जो कार्यपरिषद् की तरफ में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हठा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पंत्र वापस ले सकेगी।

कुलाधिपति को संदर्भ

30. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का संस्थक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय जिसके अन्तर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है, या नहीं तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्रत्यन्त यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश:-

(क) उस विनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात, या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यक्ति व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।

पाद का दर्जन

31. राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुज्ञान में किये गये या किये जाने के तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिए न कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

32. (1) विश्वविद्यालय के कल्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी स्त्री, आदेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्बुद्ध रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रति यदि कुल संघिक द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी

विश्वविद्यालयों के अधिकारी को सिद्ध करने की शिक्षा

*Pls. see attached
Om
कुलाधिपति विश्वविद्यालय*

* रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दस्तावेज के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अधिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार ना हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्भुत उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती है, पेश करने की या साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दें।

अपील करने का अधिकार

33. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा इसके अन्तर्गत संस्थानों/परिसरों के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के अन्दर जो विहित किया जाय, कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा उस पर कार्य परिवह उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगी, उसमें उपनातरण कर सकती है अथवा उसको परिवर्तित कर सकती है।

कठिनाइयों का निराकरण

34. (1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे प्रशिकार, परिवर्तन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या संतीवीत समझे, प्रभावी होंगे;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के सम्मेलन रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय भूमि इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विधान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

आमदा से,
रमेश चन्द्र खुर्चे,
प्रभुज्ञ सचिव।

*Photo copy attested
Om 213/12*

उद्देश्य और कारणों का कथन

जनपद अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सम्बन्धित सततीकरण एवं पर्यावरणीय स्थिति का संरक्षण तथा स्थानीय स्तर पर रोजगारपरक शिक्षा एवं शोध किया जाना है। अल्मोड़ा क्षेत्र में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थीम में क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का समावेश किया गया है।

- 2— आवासीय विश्वविद्यालय को शिक्षा, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इनायें जाने के उद्देश्य से प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है।
- 3— प्रस्तुत विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

*Plots (c) attached
Date 23/12/2018*

कुलपति
उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय
झुम्ही दा (उत्तराखण्ड)